रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2014/अग्रहायण 3, 1936
No. 343] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2014/AGRAHAYANA 3, 1936

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2014

सं. ए–12015/1/2014–एचआर/सीसीआई.–भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 17 की उप–धारा (3) के साथ पठित धारा 64 की उप–धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और वृतिकों के नियोजन के लिए प्रकिया) विनियम, 2009, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः–**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और वृतिकों के नियोजन के लिए प्रकिया) संशोधन, विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और वृतिकों के नियोजन के लिए प्रकिया) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में :–

(I) "विशेषज्ञ या वृत्तिक" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं, "विशेषज्ञ या वृत्तिक, जिसके अंतर्गत अनुसंधान अध्येता भी हैं" शब्द रखे जाएंगे और व्याकरण के नियमों द्वारा यथा अपेक्षित परिणामिक संशोधन भी किए जाएंगे;

(II) विनियम 8 के उप–विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

(1) विशेषज्ञ या 'वृत्तिकों, जिसके अंतर्गत अनुसंधान अध्येता भी हैं' और वृत्तिकों को आयोग द्वारा सामान्यतया एक वर्ष से अन्यून और तीन वर्ष से अनधिक समय के लिए संविदा के आधार पर नियोजित किया जाएगा"।

(III) मूल विनियम में,–

(क) अनुसूची में "विधि" शब्द के सामने "अर्हता" और "अनुभव" से संबंधित स्तंभों की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"आवश्यक– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और/या विदेश से, भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त, एल.एल.बी. की डिग्री या समतुल्य। (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के निबंधनों के अनुसार भारत की किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् में अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अर्हित हो। **वांछनीय** प्रतिस्पर्धा विधि या विनियामक विधियों या बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विधियों या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों में विशेषज्ञता।	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय, शासकीय या किसी विनियामक प्राधिकरण या किसी अधिकरण या किसी समान मंच में न्यायिक या विधिक कार्य में अनुभव। या, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/भारतीय या किसी विदेशी वृत्तिक संस्थान में विधि का प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर, प्रतिस्पर्धा विधि के अध्यापन में विशेषज्ञता के साथ। या, निगम क्षेत्र में विधिक प्रबंधक या उससे ऊपर का कोई पद, जिसके पास प्रतिस्पर्धा विधि के अधीन अर्जनों, समामेलनों और आमलनों आदि से संबंधित अनुभव हो या इस प्रकार की कार्यवाहियां कर रहा है:;

(ख) मूल विनियम की अनुसची 2 में,–

स्तर–1 के सामने, 'अधिमानी अनुभव वर्षों में' से संबंधित स्तंभ में, "तीन वर्षों तक" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"एक से तीन वर्ष"।

स्मिता झिंगरन, सचिव
[विज्ञापन–III/4/असा./187–एम/14]

पाद टिप्पण:–मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 15 मई, 2009 में अधिसूचना सं. आर–40007/6 संब.–विशेषज्ञ/अधि./04/सीसीआई तारीख 15.05.2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2014

No. A-12015/1/2014-HR/CCI.—In exercise of the powers conferred by clause (*d*) of sub-section (*2*) of Section 64, read with sub-section (*3*) of Section 17 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to amend the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2009, namely :—

1. **Short title and commencement.**–(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Amendment Regulations, 2014.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations) :—

 (I) for the words "expert or professional" wherever they occur, the words "experts or professionals including research associates" shall substituted and such other consequential amendments, as the rules of grammar may require shall also be made.;

 (II) in regulation 8, for sub-regulation (1) the following shall be substituted namely :—

 "*(I)* the "experts or professionals including research associates" shall ordinarily be engaged by the Commission on contractual basis for not less than one year and not more than three years" .

 (III) in the principal regulations,—

 (a) in Schedule I, for the entries in columns relating to 'Qualification' and 'Experience', against the word " Law", the following entries shall be substituted, namely :—

IndiaCode

"Essential – (i) Degree of LL.B or equivalent from a recognized University and/or Institute in India or abroad, recognized by the Bar Council of India. (ii) Qualified to be registered as an advocate in any State Bar Council in India in terms of Advocate's Act, 1961, **Desirable** – Specialization in competition law or regulatory laws or laws relating to Intellectual Property Rights or International Trade Laws.	Experience in judicial or legal work, in Supreme Court, High Court or any other Court, Government or a Regulatory Authority or a Tribunal or any similar forum. or, Professor/Reader/Lecturer of Law or any recognized University/Professional Institute of India or abroad with specialization in teaching competition law, or Legal Manager or above in the Corporate sector having experience or handling acquisitions, mergers and amalgamations etc., under competition law:;

(b) in Schedule II of the principal regulations,—

in column relating to Preferred experience in years, against level I, for the words "Upto three years" the following shall be substituted, namely :—

"One to three years".

SMITA JHINGRAN, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./187-AM/14]

Foot Note: The Principal Regulations were published *vide* Notification No. R-40007/6Reg-Expert/Noti/ 04-CCI dated 15.05.2009 in the Gazetted of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Dated 15th May, 2009.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.